

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अंतर्गत

वाणिज्यिक कर

(पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग)

जिला जबलपुर

की

सूचना की जानकारी

कार्यालय जिला पंजीयक, जिला जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 1088 / जि.प. / सूचना-अधिकार / 05

जबलपुर, दिनांक 17 / 10 / 2005

प्रति,

समस्त उप पंजीयक  
जिला-जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग की सूचना के संबंध में जानकारी।

संदर्भ :- महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 2543 / समन्वय / 2005, दिनांक 06 / 10 / 2005.

= = = = =

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, तत्संबंधी आदेश क्रमांक 21 / जि.प. / सूचना का अधिकार / 05, दिनांक 28 / 09 / 2005 आपको भेजा जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 4(1)(b) के अनुसार जबलपुर जिले में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की सूचना हस्तपुस्तिका इस पत्र के संलग्न आपको भेजी जा रही है।

उक्त सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी आपके कार्यालय में जनसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगी। जनसाधारण द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है। जानकारी को आप अपने कार्यालय के सूचना पटल पर भी लगावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(एस.एस. अपौरिया)  
जिला पंजीयक एवं  
राज्य लोक सूचना अधिकारी  
जिला जबलपुर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 1089 / जि.प. / सूचना-अधिकार / 05

जबलपुर, दिनांक 17 / 10 / 2005

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जिला योजना कार्यालय, कक्ष क्रं. 102, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(एस.एस. अपौरिया)  
जिला पंजीयक एवं  
राज्य लोक सूचना अधिकारी  
जिला जबलपुर म.प्र.

## अध्याय-1

### प्रस्तावना

- 1.1 इस हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाना चाहिए :-
- (i) जिला स्तर पर जिला पंजीयक (राज्य लोक सूचना अधिकारी)  
जबलपुर
- तथा  
जिला मुख्यालय के उप पंजीयक कार्यालय में  
पदस्थ वरिष्ठतम उप पंजीयक (राज्य सहायक  
लोक सूचना अधिकारी)
- (ii) उप जिला स्तर पर उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक  
(राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी)
- 1.2 इस हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना का प्रदाय इसके लिए विशेष कानूनों में नियत फीस तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नियत किये गये शुल्क पर किया जायेगा। सूचना प्राप्त करने के लिए जिले के राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## अध्याय-2

### संगठन की विषिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

#### 2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य –

- (1) शासन के लिए राजस्व संग्रहण करना;
- (2) दस्तावेजों का पंजीयन एवं तत्संबंधी अभिलेखों का स्थायी रूप से संधारण करना;

#### 2.2 लोक प्राधिकरण का मिषन/विजन –

- (1) शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक राजस्व का संग्रहण करना;
- (2) पंजीयन प्रक्रिया का अधिकाधिक सरलीकरण कर इसे **user's friendly** बनाना;
- (3) आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जन-हित में विभाग की कार्य-कुशलता में वृद्धि करना;
- (4) लोक दस्तावेजों को शाष्वत् काल के लिए सुरक्षित रखना;

#### 2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग –

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग का बहुत पुराना अंग है। भारत में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज था, तभी से विभिन्न रेगुलेशनों द्वारा कतिपय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्युटी चुकाने तथा इनका पंजीयन कराने के प्रावधान किये गये थे। स्टाम्प ड्युटी से संबंधित रेगुलेशनों के स्थान पर इन्हें समेकित करके भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 लागू किया गया जो दिनांक 1.7.1899 से प्रभावशील है। इसी प्रकार दस्तावेजों के पंजीयन से संबंधित रेगुलेशनों के स्थान पर इन्हें समेकित करके रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 लागू किया गया, जो कि दिनांक 1.1.1909 से प्रभावशील है। दोनों अधिनियमों को प्रषासित करने के संदर्भ में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की स्थापना हुई है। वर्ष 1976 से विभाग के पृथक से विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जा रहे हैं। इससे पूर्व राज्य के आबकारी आयुक्त पंजीयन विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। दिसम्बर 1977 तक विभागाध्यक्ष कार्यालय, ग्वालियर में स्थित था। इसके पश्चात इसे भोपाल अंतरित किया गया। वर्तमान में महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, मालवीय नगर, भोपाल में पुरानी विधानसभा के सामने स्थित है।

#### 2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य –

- (1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना;
- (2) राज्य में स्टाम्प शुल्क, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व का संग्रहण;
- (3) दस्तावेजों का पंजीयन एवं इनका संरक्षण;
- (4) राज्य में स्टाम्पों के प्रदाय की समुचित व्यवस्था;

(5) राज्य में अचल सम्पत्ति के गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण करना;


2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य –

- (1) राज्य में उपयोग हुए या उपयोग हेतु लाए गए दस्तावेजों पर उचित स्टाम्प शुल्क की वसूली.
- (2) पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का पंजीयन अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पंजीयन तथा इनसे संबंधित अभिलेख का संधारण.
- (3) जन साधारण को पंजीबद्ध हुए दस्तावेजों की फीस प्राप्त कर नकल एवं सर्च की सुविधा प्रदान करना.
- (4) जनसाधारण को अचल सम्पत्ति के विल्लंगमों की जानकारी फीस प्राप्त कर प्रदान करना,
- (5) सम्पूर्ण राज्य में स्टाम्पों की प्रदाय की समुचित व्यवस्था करना;
- (6) राज्य में अचल सम्पत्ति के गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण करना;

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण –

- (1) दस्तावेजों का पंजीयन;
- (2) जनसाधारण को पंजीबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रदान करना;
- (3) सम्पत्ति पर भार के प्रमाण पत्र जारी करना;
- (4) लोक दस्तावेजों के सर्च की सुविधा प्रदान करना;
- (5) किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की जानकारी प्रदान करना;

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (षासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा



- 2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं –
- (1) जिन दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है, उनका पंजीयन अवष्य कराएं;
  - (2) सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए असम्यक रूप से स्ताम्पित एवं अपंजीकृत दस्तावेजों का उपयोग न करें;
  - (3) सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए पॉवर ऑफ अटार्नी जैसे असुरक्षित दस्तावेजों से बचें;
  - (4) दस्तावेजों में सम्पत्ति का सही-सही विवरण एवं बाजार मूल्य अंकित करें;
  - (5) अचल सम्पत्ति के गाइड लाइन मूल्यों को युक्तियुक्त बनाने में सहयोग करें;

- 2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था –

- (1) गाइड लाइन मूल्य तैयार करने वाली समितियों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है;
- (2) प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर जन साधारण को विषय पर शिक्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

- 2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था –

विभाग का सिटीजन चार्टर जारी कर जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निवारण की निम्न व्यवस्था लागू की गई है –

- (1) अपना कार्य पूर्ण दक्षता, सहिष्णुता एवं तत्परता से करना;
- (2) जनसाधारण से सदैव विनम्र एवं सुव्यवहार करना;
- (3) जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (4) कार्यालय स्थल एवं आसपास के स्थानों को सदैव साफ एवं सुंदर रखना;
- (5) यदि किसी को लगता है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन नहीं कर रहा है, या सेवाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वह तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है;

	विषय	निर्धारित समयावधि
1.	पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की वापसी	
	(क) जब सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण न किया जाना हो,	अधिकतम प्रस्तुतिकरण दिनांक से अगले दिन
	(ख) जब सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाना हो,	प्रस्तुतिकरण दिनांक से 7 दिन
2.	दस्तावेजों की नकल प्रदाय करना	अधिकतम आवेदन प्रस्तुति करण दिनांक से अगले दिन
3.	भार प्रमाण पत्र	एक माह

2.11 जिला कार्यालय तथा उप जिला कार्यालय स्तरों पर कार्यालयों के पते –

(1) जिला कार्यालय –

1. जिला पंजीयक कार्यालय, 500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर.

(2) उप जिला स्तर के कार्यालय –

1. उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर	जिलाध्यक्ष कार्यालय परिसर, जबलपुर.
2. उप पंजीयक कार्यालय, सिहोरा	तहसील कार्यालय परिसर, सिहोरा.
3. उप पंजीयक कार्यालय, पाटन	तहसील कार्यालय परिसर, पाटन.

2.12 कार्यालय के खुलने का समय	प्रातः 10.30
कार्यालय के बंद होने का समय	सायं 5.30

## अध्याय-3

## अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	जिला पंजीयक	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिले में कार्यालय प्रमुख के रूप में प्राप्त शक्तियाँ.</li> <li>2. अधीनस्थ उप पंजीयकों को पंजीयन कार्य में मार्गदर्शन.</li> <li>3. उप पंजीयक की अनुपस्थिति में कार्य की व्यवस्था.</li> <li>4. पंजीयन कार्यालयों का निरीक्षण.</li> <li>5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही.</li> <li>6. स्टाम्प बैण्डरों एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करना.</li> </ol>
	वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिले में कार्यालय प्रमुख की हैसियत से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग.</li> <li>2. जिले में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की हैसियत से वित्तीय अधिकार पुस्तिका में विहित समस्त वित्तीय कार्यों का संपादन.</li> <li>3. अधीनस्थ कार्यालयों के स्टॉक व स्टोर का अपलेखन.</li> </ol>
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिले के लोक कार्यालयों में स्टाम्प संबंधी निरीक्षण.</li> <li>2. उप पंजीयक के कार्य पर नियंत्रण एवं अधीक्षण.</li> <li>3. स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियाँ</li> <li>4. मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञा नियम अंतर्गत दस्तावेज लेखकों को लायसेंस देना और उनपर नियंत्रण.</li> <li>5. मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2000 अंतर्गत जिला मूल्यांकन समिति में संयोजक की हैसियत से कार्य करना.</li> </ol>

कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप पंजीयक को पंजीयन एवं मार्गदर्शन एवं उनके दैनिक समस्याओं का स्थानीय रूप से हल करना.</li> <li>2. पंजीयन कार्यालयों में स्टाफ की अनुपस्थिति में कार्य कराने की व्यवस्था करना.</li> <li>3. विहित किये गये विवरण पत्रों को संकलित कर महानिरीक्षक पंजीयन को प्रेषित करना.</li> <li>4. पंजीयन कार्यालयों में निरीक्षण संबंधी कार्य करना तथा जिलों में स्थित लोक कार्यालयों में स्टाम्प संबंधी निरीक्षण करना.</li> <li>5. सूचना के अधिकार तथा सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समयावधि में निराकरण करना.</li> <li>6. आडिट आक्षेपों का निराकरण करना</li> <li>7. पंजीयन कार्यालयों में अभिलेखों में त्रुटियों का सुधार संबंधी आदेश पारित करना। पंजीयन फीस अधिक ली जाने पर उसकी वापसी के संबंध में निर्णय लेने एवं उसका निराकरण करना.</li> <li>8. पंजीयन अधिकारियों के पंजीयन से इंकार संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील सुनना.</li> <li>9. दस्तावेजों की अवधि व्यतीत होने की स्थिति में समय वृद्धि के प्रकरणों का निराकरण करना.</li> <li>10. मोहरबंद वसीयत नामों को जमा करना उन्हें वा उनकी सुरक्षा करना.</li> <li>11. अस्थाई अभिलेखों को नष्ट करने संबंधी प्रकरणों का निराकरण करना.</li> <li>12. बिलदावा पड़े हुए मूल दस्तावेजों के नष्ट करने के प्रकरणों का निराकरण करना.</li> <li>13. जिले के अंतर्गत दस्तावेज लेखकों को लायसेंस प्रदाय कर उनके ऊपर नियंत्रण रखना.</li> <li>14. पक्षकारों के आवेदन पत्रों पर दस्तावेज का न्याय निर्णय करना तथा उस पर उचित मुद्रांक शुल्क बताना.</li> <li>15. विभिन्न कार्यालयों से अवरूद्ध किये गये दस्तावेजों व अन्य प्रकरणों में न्यायिक निर्णय लेना और उनका निराकरण करना.</li> <li>16. विवादास्पद मुद्रांक के प्रकरणों को चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के समक्ष संदर्भ करना.</li> <li>17. पक्षकारों द्वारा दस्तावेज पर कम लगाये गये मुद्रांक शुल्क की स्थिति में उनसे शुल्क प्राप्त करना एवं यथा विधि मुद्रांकित प्रमाणित करना.</li> <li>18. कम मूल्यांकन के संबंध में धारा 47(क) के अंतर्गत सम्पत्ति का मूल्यांकन करना एवं मुद्रांक शुल्क वसूल करना.</li> <li>19. आडिट तथा निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त कम मुद्रांक के प्रकरणों का निराकरण करना.</li> <li>20. भारत के बाहर और भारत के अंदर अन्य राज्यों में निष्पादित किये गये दस्तावेजों में शुल्क लगाने के लिये निर्णय लेना तथा यथाविधि मुद्रांकित करना.</li> <li>21. व्यवहार न्यायालयों से प्राप्त दस्तावेजों में मुद्रांक शुल्क का परीक्षण और दण्ड की वापसी का निर्णय.</li> <li>22. पक्षकारों को मुद्रांक शुल्क की वापसी के प्रकरणों का निराकरण करना.</li> <li>23. स्टाम्प प्रकरणों में बकाया वसूली का कार्य.</li> </ol>
---------	---

पद का नाम	उप पंजीयक	
शक्तियां	प्रशासकीय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण.</li> <li>2. मुद्रांक विक्रेता तथा दस्तावेज लेखकों पर नियंत्रण.</li> </ol>
	वित्तीय	त्रुटिवश अधिक पंजीयन शुल्क वसूल किए जाने पर कोषालय में जमा करने से पूर्व इसकी वापसी.
	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंजीयन अधिनियम 1908 के अंतर्गत दस्तावेजों का पंजीयन.</li> <li>2. मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्षक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2000 अंतर्गत उप जिला मूल्यांकन समिति में संयोजक की हैसियत से कार्य करना.</li> <li>3. पंजीयन अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत जिला पंजीयक की शक्ति.</li> <li>4. स्टाम्प अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्ति.</li> <li>5. पंजीबद्ध दस्तावेजों की नकल, सर्च, भार प्रमाण पत्र जारी करना.</li> </ol>
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रभावी प्रयास.</li> <li>2. कार्यालय में पदस्थ स्टाफ को पंजीयन कार्य में मार्गदर्शन तथा उनकी दैनिक समस्याओं को स्थानीय रूप से हल करना.</li> <li>3. प्रतिदिन पंजीयन फीस की राशि कोषालय में जमा करना.</li> <li>4. अभिलेखों तथा ग्रन्थों की सतत् निगरानी एवं उनकी सुरक्षा के प्रयास करना.</li> <li>5. जनसामान्य को सुरक्षा की दृष्टि से अचल संपत्ति के पंजीयन कराने हेतु प्रेरित करना.</li> <li>6. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क वसूल कर कोषालय में जमा कराना.</li> <li>7. दस्तावेजों के पंजीयन तथा अभिप्रमाणीकरण का कार्य.</li> <li>8. निरीक्षणों एवं आडिट संबंधी आक्षेपों का निराकरण.</li> <li>9. सिटीजन चार्टर एवं सूचना के अधिकार का पालन.</li> <li>10. फ्रेंकिंग मशीन से स्टाम्प फ्रेंक करना.</li> </ol>	

पद का नाम	पंजीयन लिपिक	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा मिलान करना.</li> <li>2. सूचियों तथा अधिकार अभिलेख बनाना.</li> <li>3. मुद्रांक व पंजीयन शुल्क संबंधी विभिन्न पंजियों का संधारण करना.</li> <li>4. मुद्रांक विक्रेताओं की पंजीयों को जमा करना.</li> <li>5. जहां अभिलेखापाल न हो वहां अभिलेखों की सर्च करवाने तथा इनकी नकल तैयार कराना.</li> <li>6. अभिलेखापाल न होने की स्थिति में अभिलेखों की सुरक्षा करना.</li> <li>7. अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्य.</li> <li>8. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का समयावधि में परिपालन सुनिश्चित करना.</li> <li>9. अभिलेखों तथा ग्रंथों की सतत् निगरानी एवं उनकी सुरक्षा के प्रयास करना.</li> </ol>	

पद का नाम	जिले में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 (श्री रुप किषोर यादव)	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिले के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका संधारण, सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का संधारण एवं संबंधित पत्राचार.</li> <li>2. जिले के लेखा संबंधित कार्य तथा नस्तियों का संधारण.</li> <li>3. समस्त निरीक्षण टीपों का निराकरण एवं नस्तियों का संधारण.</li> <li>4. बजट, व्यय एवं अन्य पत्रकों को तैयार करना.</li> <li>5. मुद्रांक विक्रेताओं/दस्तावेज लेखकों से संबंधित अभिलेखों एवं नस्तियों का संधारण.</li> <li>6. मुद्रांक राशि की वसूली से संबंधित समस्त कार्य.</li> <li>7. बाजार मूल्य संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का समयबद्ध एवं विस्तृत कार्य.</li> <li>8. जिला पंजीयक की वार्षिक भ्रमण कार्यक्रमावली तैयार करने तथा निरीक्षण में सहयोग करने का कार्य.</li> <li>9. जांच एवं शिकायत संबंधी नस्तियों का संधारण एवं अन्य संबंधित कार्य.</li> <li>10. परामर्षदात्री समिति की बैठक संबंधी कार्य.</li> <li>11. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का समयावधि में परिपालन सुनिश्चित करना.</li> <li>12. जिला पंजीयक द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन.</li> </ol>	

पद का नाम	सहायक ग्रेड-2 (श्रीमति सुनीता साहू) प्रवाचक (केवल जबलपुर जिला)	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>मुद्रांक प्रकरणों की दायरा पंजी में दर्जगी, सूचना पत्र एवं वादसूची का संधारण आदि कार्य.</li> <li>राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश एवं आयुक्त न्यायालय में अपील में लंबित प्रकरणों की कार्यवाही सुनिश्चित करना.</li> <li>राजस्व प्रकरणों का मासिक पत्रक तैयार करना, चालान पारित करना, रसीद जारी करना एवं दायरा पंजियों में निराकरण प्रदर्शित करना.</li> <li>निराकृत प्रकरणों के विनिष्टीकरण से संबंधित कार्य.</li> <li>जिला पंजीयक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।</li> </ol>	

पद का नाम	जिला पंजीयक कार्यालय में पदस्थ स्टेनो टायपिस्ट/सहायक ग्रेड-3	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय का टंकण कार्य एवं आवक-जावक कार्य.</li> <li>जिला पंजीयक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य.</li> <li>वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का समयवधि में परिपालन सुनिश्चित करना.</li> </ol>	

पद का नाम	जिले में पदस्थ भृत्य	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक

कर्त्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों की पुकार लगाना.</li> <li>2. सूचना पत्र एवं माँग पत्र तामील करना.</li> <li>3. स्थानीय डाक लगाना एवं कोषालय में देयक प्रस्तुत करना.</li> <li>4. कार्यालय खोलना/बंद करना, साफ-सफाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना.</li> <li>5. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता की रसीदों में प्राप्त राशि बैंक में जमा करना.</li> <li>6. कार्यालय प्रमुख द्वारा आदेशित करने पर चौकीदार का कार्य करना.</li> <li>7. अन्य सौंपे गए कार्य करना.</li> </ol>
-----------	---

#### अध्याय-4

### कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची

1. अभिलेख का नाम : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, अभिलेख का प्रकार : अधिनियम 1899

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क की दरें एवं इनके चुकाने वसूल करने आदि से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

1. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम  
शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

2. अभिलेख का नाम :  
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

3. अभिलेख का नाम :

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

4. अभिलेख का नाम :

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
इसके अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया एवं पंजीयन फीस की दरें निर्धारित की गई हैं।

मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942

इसके अंतर्गत स्टाम्पों के उपयोग, विक्रय, रिफण्ड आदि से संबंधित नियम दिये गये हैं।

म.प्र. लिखतों के न्यून मूल्यांकन नियम, 1975

कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति उनके लिए निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।

अभिलेख का प्रकार : अधिनियम

2. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302  
2. उप जिले का उप पंजीयक कार्यालय  
शासकीय प्रकाशनों की प्रति उनके लिए निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।

अभिलेख का प्रकार : नियम

1. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति उनके लिए निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।

अभिलेख का प्रकार : नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- इसके अंतर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क के अंतर्गत संपत्ति के सही बाजार मूल्य एवं उस पर देय स्टाम्प शुल्क के अवधारणा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

1. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम  
शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक  
कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति  
उनके लिए निर्धारित मूल्य पर  
प्राप्त की जा सकती है।

5. अभिलेख का नाम :

म.प्र. बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000

अभिलेख का प्रकार : नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-

इसके अंतर्गत गाइड लाइन मूल्यों के निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

3. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम  
शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक  
कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति  
उनके लिए निर्धारित मूल्य पर  
प्राप्त की जा सकती है।

6. अभिलेख का नाम : म.प्र. रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 अभिलेख का प्रकार : नियम
- अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- इसके अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
- नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)
4. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302
2. उप जिले का उप पंजीयक कार्यालय
- शासकीय प्रकाशनों की प्रति उनके लिए निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।
7. अभिलेख का नाम : म.प्र. दस्तावेज लेखक अनुज्ञा अभिलेख का प्रकार : नियम नियम, 1966
- अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- इसके अंतर्गत दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
- नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)
5. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302
2. उप जिले का उप पंजीयक कार्यालय
- शासकीय प्रकाशनों की प्रति उनके लिए निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है।
8. अभिलेख का नाम : पंजीयन मैनुअल, 2000 अभिलेख का प्रकार : नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- इसके अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया एवं कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेखों की जानकारी प्रदान की गई है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

1. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम  
शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक  
कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति  
उनके लिए निर्धारित मूल्य पर  
प्राप्त की जा सकती है।

9. अभिलेख का नाम : शासन एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अभिलेख का प्रकार : नियम जारी परिपत्र

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- इसके अंतर्गत शासन अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर स्टाम्प शुल्क एवं दस्तावेजों के पंजीयन समस्याओं के निराकरण से संबंधित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की

1. जिला पंजीयक कार्यालय  
500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम  
शाला, जबलपुर  
दूरभाष क्रं. 0761-2310302

2. उप जिले का उप पंजीयक  
कार्यालय

शासकीय प्रकाशनों की प्रति  
उनके लिए निर्धारित मूल्य पर

प्रति को प्राप्त करने का शुल्क  
(यदि कोई हो)

प्राप्त की जा सकती है।

## अध्याय—5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या  
जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

### 5.1 नीति निर्धारण हेतु

निरंक

### 5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु

स. क्रं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	अचल संपत्ति के गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण	हाँ	(1) जिला मूल्यांकन समितियों एवं उप जिला मूल्यांकन

समितियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था नियमों में की गई है।

- (2) जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अचल संपत्ति के मूल्य निर्धारण करने के पश्चात इनके संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित करने तथा उनका निराकरण करने की व्यवस्था नियमों में की गई है।

## अध्याय—6

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (category) के अनुसार विवरण

### 6.1

स. क्रं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	स्थायी	पुस्तक क्रमांक-1. अचल संपत्ति के अंतरण के दस्तावेजों की हस्तलिखित प्रतियां	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा.	उप पंजीयक
2	स्थायी	अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक-1, अचल संपत्ति के अंतरण के दस्तावेजों की छापित प्रतियां	---“---	---“---
3	स्थायी	अनुपूरक पुस्तक — फाईल	---“---	---“---

		होने हेतु प्राप्त दस्तावेजों की प्रतियां		
4	स्थायी गोप.	पुस्तक क्रमांक-3, वसीयत एवं दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों की हस्तलिखित प्रतियां	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादी की मृत्यु होने तक प्रतिलिपि जनसाधारण को दिया जाना संभव नहीं	---"---
5	स्थायी गोप.	अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक-3, वसीयत एवं दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों की छापित प्रतियां	---"---	---"---
6	स्थायी गोप.	पुस्तक क्रमांक-4 चल संपत्ति के दस्तावेजों की हस्तलिखित प्रतियां	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिलिपि जनसाधारण को दिया जाना संभव नहीं.	---"---
7	स्थायी गोप.	अतिरिक्त पुस्तक क्रमांक-4 चल संपत्ति के दस्तावेजों की छापित प्रतियां	---"---	---"---
8	स्थायी	पुस्तक क्रमांक-2, दस्तावेज की पंजीयन की इनकारी के कारण	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा.	---"---

1	2	3	4	5
9	स्थायी	मुख्तारनामा प्रमाणीकरण पंजी	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा.	उप पंजीयक
10	स्थायी	फाईल बुक नं.-1, धारा 62 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत सत्य प्रतिलिपियां आदि	---"---	---"---
11	स्थायी	फाईल बुक नं.-3, परिपत्र	---"---	---"---
12	स्थायी	अंगूष्ठ छाया पंजी	---"---	---"---
13	स्थायी	कार्यवाही पंजी	---"---	---"---
14	स्थायी	सूची क्रमांक-1, पुस्तक क्रमांक-1 के दस्तावेजों के पक्षकारों के नाम एवं पते की सूची	---"---	---"---

15	स्थायी	सूची क्रमांक-2, पुस्तक क्रमांक-1 के दस्तावेजों द्वारा अंतरित संपत्ति के विवरण की सूची	---	---
16	स्थायी गोप.	सूची क्रमांक-3, पुस्तक क्रमांक-3 के दस्तावेजों के पक्षकारों के नाम तथा पते की सूची	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादी की मृत्यु होने तक प्रतिलिपि जनसाधारण को दिया जाना संभव नहीं	---
17	स्थायी गोप.	सूची क्रमांक-4, पुस्तक क्रमांक-4 के दस्तावेजों के पक्षकारों के नाम एवं पते की सूची	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिलिपि जनसाधारण को दिया जाना संभव नहीं	---
18	स्थायी	स्थायी अभिलेखों की पंजी	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा	---

19	अस्थायी 40 वर्ष	(क) उन शासकीय कर्मचारियों के जिनके संबंध में कोई स्थापना विवरणियां प्रस्तुत नहीं की जाती है और कोई सेवा पुस्तकें तथा सेवा पंजियां भी नहीं रखी जाती है, वेतन देयकों की कार्यालय प्रतिलिपियां।  (ख) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट किए गए से भिन्न शासकीय कर्मचारियों के वेतन देयकों	निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा.	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों एवं प्रवर्ग 1 एवं 2 के अधिकारियों के मामलों में - महानिरीक्षक पंजीयन  अन्य के मामलों में - जिला
----	--------------------	---	--	---

		कर्मचारियों के वेतन देयकों की कार्यालय प्रतिलिपियां।  (ग) यात्रा भत्तों से भिन्न वेतन तथा भत्तों की निस्तारण पंजियां, जब वे पृथक रखी जाती हो।		पंजीयक  अन्य के मामलों में – जिला पंजीयक
20	अस्थायी 6 वर्ष	फाईल पुस्तक – भाग दो	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा.	उप पंजीयक कार्यालय
21	अस्थायी 6 वर्ष	परिबद्ध दस्तावेजों का रजिस्टर	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
22	अस्थायी 12 वर्ष	फाइल पुस्तक-भाग चार (निरीक्षण टिप्पणियों पर आदेश)	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
23	अस्थायी 6 वर्ष	मासिक तथा वार्षिक विवरणियों की कार्यालय प्रतियां	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
24	अस्थायी 3 वर्ष	फीस पुस्तक	---"---	उप पंजीयक कार्यालय

25	अस्थायी 3 वर्ष  20वर्ष	(1) रोकड़ लेखा पुस्तक (केष एकाउन्ट बुक) (उप रजिस्ट्रार कार्यालय) (2) रोकड़ बही केष बुक (रजिस्ट्रार कार्यालय)	---"---	उप पंजीयक कार्यालय जिला पंजीयक कार्यालय
26	अस्थायी 3 वर्ष	रसीद पुस्तक	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
27	अस्थायी 3 वर्ष	फाइल पुस्तक, भाग-पांच, छः तथा सात बैंक चालान, सम्मन वारंट तथा विविध स्वरूप के दूसरे आदेश	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
28	अस्थायी निरीक्षण के ठीक पश्चात	फाइल पुस्तक, भाग आठ (प्रतिलिपियां, निरीक्षणों तथा अन्वेषण के लिए दिये गये आवेदन)	---"---	उप पंजीयक कार्यालय

29	अस्थायी 3 वर्ष	प्रेषण रजिस्टर तथा शासकीय डाक मुद्रांकों का लेखा	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
30	अस्थायी 3 वर्ष	लेखन सामग्री तथा प्रारूपों का रजिस्टर	---"---	जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय
31	अस्थायी 3 वर्ष	डाक द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का रजिस्टर	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
32	अस्थायी 3 वर्ष	नेमी पत्र-व्यवहार	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
33	अस्थायी 3 वर्ष	मांग पत्रों (इन्डेन्ट्स) आकस्मिक यात्रा भत्ता, कमीषन तथा प्रतिलिपि फीस देयकों की कार्यालय प्रतियां और दावा विहीन दस्तावेजों की सूची, नियत कालिक विवरणियां तथा विवरण और अमहत्वपूर्ण प्रकीर्ण कागज-पत्र	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
34	अस्थायी 3 वर्ष	दैनिक बुक (डे बुक)	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
35	अस्थायी 6 वर्ष	डायरी	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
36	अस्थायी 3 वर्ष	आने वाले पत्रों का रजिस्टर	---"---	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय
37	अस्थायी 3 वर्ष	खजाना, उप खजाना या पुलिस थाने में नगदी की पेटी (केष बाक्स) को जमा करने का रजिस्टर	---"---	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय
38	अस्थायी 5 वर्ष	फर्नीचर का रजिस्टर	---"---	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय
39	अस्थायी 5 वर्ष	संविदा तथा प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं (कांट्रेक्ट एण्ड काउण्टर साइन्ड	---"---	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय

		कान्टिजेंसीज) का रजिस्टर		
40	अस्थायी 30 वर्ष	वार्षिक स्थापना विवरणियां	---"---	जिला पंजीयक कार्यालय
41	अस्थायी 25 वर्ष 25 वर्ष 5 वर्ष तथ्य के ज्ञात होने के तुरंत पश्चात	पेन्शन संबंधी मामले (1) अषक्त (क) वरिष्ठ सेवक (ख) कनिष्ठ सेवक (2) अन्य प्रकार की पेन्शन (3) वे पेन्शनभोगी जिनकी मृत्यु हो गई है	निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा.	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय  जिला पंजीयक कार्यालय
42	अस्थायी 2 वर्ष	रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा भेजे गये ज्ञापनों, दस्तावेजों की प्रतियों और अधिकार अभिलेख विवरणों की अभिस्वीकृति	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा	उप पंजीयक कार्यालय
43	अस्थायी 12 वर्ष	अस्थायी अभिलेखों का रजिस्टर	---"---	उप पंजीयक कार्यालय

44	अस्थायी 12 वर्ष 12 वर्ष 5 वर्ष बाद तक	निम्नलिखित के अवकाश, नियुक्त तथा सीनान्तरण के मामले :- (क) उप रजिस्ट्रार (ख) रजिस्ट्रीकरण मोहरीर (ग) रजिस्ट्रीकरण भृत्य	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
45	अस्थायी 6 वर्ष	पंचायत शुल्क रजिस्टर तथा उससे संबंधित मासिक और वार्षिक विवरण	---"---	उप पंजीयक कार्यालय
46	अस्थायी 3 वर्ष	स्टाम्प प्रकरण	---"---	जिला पंजीयक कार्यालय

47	स्थायी	स्थायी अभिलेखों का रजिस्टर	निर्धारित प्रारूप एवं पंजीयन नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार आवेदन उप पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा.	उप पंजीयक कार्यालय
----	--------	----------------------------	---	--------------------

## अध्याय-7

### बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- 7.1 विभाग मे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47(क) सहपठित धारा 75 के अधीन बनाये गये "मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000" के तहत प्रदेश मे संपत्ति के बाजार मूल्य नियत किये जाने हेतु निम्नानुसार बोर्ड/समितियों का गठन किया गया है –
- 7.1.1 (अ) प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड का गठन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-
- (i) महानिरीक्षक पंजीयन ;

- (ii) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग या उसका प्रतिनिधि जो मुख्य अभियंता की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
  - (iii) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
  - (iv) आयुक्त, भू-अभिलेख या उसका प्रतिनिधि जो उपायुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
  - (v) संचालक, कृषि या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
  - (vi) मुख्य वन संरक्षक या उसका प्रतिनिधि जो वन संरक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
  - (vii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य;
  - (viii) उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं स्टाम्प
- (ब) केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के कृत्य निम्नानुसार है :-
- (i) विप्लेषण तथा अंतिम अनुमोदन के लिए जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्ट संपत्ति के संव्यवहारों की जानकारी/आंकड़े अनंतिम दरों के साथ प्राप्त करना;
  - (ii) भूमि, भवन तथा स्थावर सम्पत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के नियतन के लिए मानदण्ड विकसित करना.

7.1.2 (अ) जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-

- |   |         |
|---|---------|
| (i) कलेक्टर   | अध्यक्ष |
| (ii) अध्यक्ष, जनपद पंचायत-जिला मुख्यालय                         | सदस्य   |
| (iii) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग                      | सदस्य   |
| (iv) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग                         | सदस्य   |
| (v) आयुक्त, नगरपालिक निगम या जिला मुख्यालय का नगरपालिक अधिकारी, | सदस्य   |
| (vi) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                       | सदस्य   |
| (vii) अधीक्षक, भू-अभिलेख/अधीक्षक, व्यपवर्तन                     | सदस्य   |
| (viii) भाड़ा नियंत्रण अधिकारी,                                  | सदस्य   |
| (ix) जिला वन अधिकारी  | सदस्य   |
| (x) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण                    | सदस्य   |

/उपायुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल,	
(xi) संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,	सदस्य
(xii) महाप्रबंधक, उद्योग	सदस्य
(xiii) रजिस्ट्रीकरण जिले का जिला पंजीयक	संयोजक

(ब) जिला मूल्यांकन समिति के कृत्य निम्नानुसार है :-

- (i) सम्पत्ति के मूल्यों तथा सम्पत्ति के रुझानों की जानकारी एकत्रित करना, जिसे कि विद्यमान आंकड़ों के साथ प्राथमिक आंकड़ों के रूप में संकलित किया जाएगा.
- (ii) उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ यथास्थिति प्रारूप एक, दो एवं तीन में प्रस्तावित मूल्यों तथा प्राथमिक आंकड़ों के रूप में निर्माण दरों, सम्पत्ति की वास्तविक दरों आदि के संबंध में संकलित जानकारी का विश्लेषण करना तथा अनंतिम मूल्यों को नियत करना, अनंतिम मूल्यों को अधिसूचित करना और उन पर जनता के सुझाव आमंत्रित करना तथा उन पर विचार करना.
- (iii) अनंतिम मूल्यों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजना तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना.

7.1.3 (अ) उप जिला स्तर पर समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

(i) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उप जिला मुख्यालय	सदस्य
(iii) तहसीलदार/नायब तहसीलदार	सदस्य
(iv) सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(v) सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(vi) मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त नगरपालिक निगम अथवा उसका नाम निर्देशिती	सदस्य
(vii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या उसका नामनिर्देशिती,	सदस्य

(viii) अनुविभागीय अधिकारी, वन	सदस्य
(ix) उप पंजीयक	संयोजक

(ब) उप जिला मूल्यांकन समिति के कृत्य निम्नानुसार है :-

- (i) सम्पत्ति के मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा संकलित करना, इस प्रयोजन के लिए उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हुए दस्तावेजों के आधार पर उप पंजीयक द्वारा औसत मूल्य के आंकड़े प्रदाय किए जाएंगे, उस कालावधि के दौरान किसी विक्रय के सव्यवहार के न होने की स्थिति में या तो उसी तरह की भूमि/सम्पत्ति के विक्रय संव्यवहारों को आधार बनाया जायेगा अथवा मूल्य सूचकांक के अनुसार मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी, सम्पत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों द्वारा तहसीलदारों के माध्यम से दी जाएगी. अन्य जानकारीयां जैसे निर्माण लागत, शासकीय विक्रय, नीलाम विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्रित की जायेगी.
- (ii) एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा विहित इनपुट प्रारूपों में मूल्य प्रस्तावित करना तथा उन्हें एकत्रित किए गए समस्त आंकड़ों तथा जानकारी के साथ संबंधित जिला मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना

- 7.1.4 इस प्रकार बनाये गये बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से पुनरीक्षित किये जाते हैं तथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को जिला मूल्यांकन समिति के संयोजक द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- 7.1.5 महानिरीक्षक पंजीयन विषय परिस्थितियों में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण बाजार मूल्यों मार्गदर्शक सिद्धान्तों का विषय पुनरीक्षण कर सकते हैं।
- 7.1.6 यदि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों में दर्शायी गयी दरों से व्यथित पक्षकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है या विभाग का कोई अधिकारी कोई विसंगति देखता है तो मामला नियम 4(1) में विनिर्दिष्ट समिति को संदर्भित किया जा सकता है तथा ऐसी समिति महानिरीक्षक पंजीयन को, दरों को पुनरीक्षित कर विसंगति को सुधारने के लिए प्रस्ताव भेज सकती है।
- 7.1.7 केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, जिला मूल्यांकन समिति तथा उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठकों की आवृत्ति नियत नहीं है, तथा आवष्यकतानुसार अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन समितियों में अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के रूप में जिला मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष जनपद पंचायत, जिला मुख्यालय तथा उप जिला मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष जनपद पंचायत उप जिला मुख्यालय को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 7.1.8 अचल सम्पत्ति के इन निर्धारित मूल्यों की जानकारी संबंधित जिले के जिला पंजीयक (राज्य लोक सूचना अधिकारी) तथा संबंधित उप-जिले के उप पंजीयक (राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी विभाग की वेबसाइट [www.mp.nic.in/igrs](http://www.mp.nic.in/igrs) पर भी प्राप्त की जा सकती है।



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस.एस. अपौरिया	जिला पंजीयक जबलपुर	0761	310302	—	—	—	500, माढाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी								
1	श्री एम.एल. श्रीवास्तव मुख्यालय उप पंजीयक	उप पंजीयक जबलपुर						जिलाध्यक्ष कार्यालय परिसर, जबलपुर
2	श्री ए.के. वर्मा उप पंजीयक	उप पंजीयक सिहोरा						तहसील कार्यालय परिसर, सिहोरा
3	श्री बी.एस. ठाकुर उप पंजीयक	उप पंजीयक पाटन						तहसील कार्यालय परिसर, पाटन

अपीलेट अथोरिटी :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	निवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री संतोष गाँधी	उप महानिरीक्षक पंजीयन	0755	2441941	2441962	2441941	—	कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन, पुरानी विधानसभा के सामने, पंजीयन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

9.1 निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाले प्रक्रिया

- 1 पंजीयन नियमों में संशोधन विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर प्रारूप तैयार किया जाता है, जिस पर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाता है।
- 2 गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण राज्य में स्थित अचल सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव उप जिला मूल्यांकन समितियों एवं जिला मूल्यांकन समितियों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं, जिनका विप्लेषण कर अनुमोदन/संशोधन किया जाता है।
- 3 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में प्रकरण का भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 45 एवं 56(1) के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों को सुनवाई का

- निराकरण अवसर प्रदान कर किया जाता है।
- 4 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क, 33, 48-ख, स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण 31 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस (जिला पंजीयक) द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर किया जाता है।
- 5 जिला पंजीयक द्वारा दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडरों की अनुज्ञप्ति जारी करना किसी स्थान विशेष के लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। जिला पंजीयक द्वारा आयु, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र आदि की जांच की जाती है तथा योग्य उम्मीदवारों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।
- 6 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों तथा अभ्यावेदनों का निराकरण पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर निर्णय लिया जाता है।
- 7 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन यह विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पंजीयन से पूर्व उप पंजीयक द्वारा स्टाम्पों की वैधता, दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले की वैधता गाइड लाइन अनुसार मूल्य तथा दस्तावेज के समर्थन में आवश्यक supporting दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात निष्पादनकर्ताओं की स्वीकृति एवं षिनाख्त करवाकर दस्तावेज का पंजीयन किया जाता है।
- 8 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज के पंजीयन से इंकार उप पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या किसी अन्य विषिष्ट अधिनियम में प्रावधान के उल्लंघन पाए जाने पर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर दस्तावेज के पंजीयन से इंकार किया जाता है।

## 9.2 विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया

- 1 पंजीयन नियमों में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 69 में प्रावधानित है।
- 2 गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण प्रावधान मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 में दिए गए हैं।
- 3 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 45 एवं 56 में दिए गए हैं।

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण                          | प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 18-क, 19-क, 31, 32, 40, 41, 42, 47-क तथा मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 में दिए गए हैं।   |
| 5 | जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं/दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करना  | दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी प्रावधान दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियम 1966 में दिए गए हैं, जबकि स्टाम्प वेंडरों को अनुज्ञप्ति हेतु प्रावधान मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 26 एवं 27 में दिए गए हैं। |
| 6 | जिला पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों, अभ्यावेदनों का निराकरण | इससे संबंधित प्रावधान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 72 तथा 73 में दिए गए हैं।  |
| 7 | उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन  | इससे संबंधित प्रक्रिया रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 34, 35, 52, 58 से 65 में दी गई है।  |
| 8 | उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन से इंकार                                 | इससे संबंधित प्रक्रिया रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 71 में दी गई है।  |

### 9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था

- |   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | पंजीयन नियमों में संशोधन      | शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाते हैं। विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।   |
| 2 | गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण | इन्हें जन साधारण के लिए खुला रखा गया है। कोई भी व्यक्ति उप पंजीयक कार्यालय से इनकी प्रति निर्धारित फीस देकर प्राप्त कर सकता है। बिना शुल्क के क्षेत्र विशेष की दरों की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था |

- की जा रही है।
- 3 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण. निर्णय की संसूचना संबंधित पक्षकारों को भेजी जाती है।
  - 4 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण निर्णय की संसूचना संबंधित पक्षकारों को भेजी जाती है।
  - 5 जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं/दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करना. अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प वेंडरों, दस्तावेज लेखकों की सूची जिला पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध रहती है। कोई भी व्यक्ति इनके संबंध में जिला पंजीयक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
  - 6 जिला पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों, अभ्यावेदनों का निराकरण. निर्णय की प्रति संबंधित पक्षकारों को प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति इससे संबंधित आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।
  - 7 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन पुस्तक क्रमांक 1 तथा 2 से संबंधित दस्तावेजों की प्रति कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जबकी पुस्तक क्रमांक 3 से संबंधित दस्तावेजों की प्रति निष्पादनकर्ता के जीवित रहने तक वह स्वयं तथा उसकी मृत्यु के उपरांत कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पुस्तक क्रमांक 4 से संबंधित प्रति केवल निष्पादित करने वाले या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को ही दी जा सकती है।
  - 8 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन से इंकार आदेश की प्रति कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस देकर प्राप्त कर सकता है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

- 1 पंजीयन नियमों में संशोधन विभागाध्यक्ष कार्यालय की तकनीकी शाखा में पदस्थ अधिकारियों की
- 2 गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर – उप जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य  
जिला स्तर पर – जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य  
राज्य स्तर पर – राज्य मूल्यांकन बोर्ड के सदस्य
- 3 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में स्टाम्प विभागाध्यक्ष कार्यालय की तकनीकी शाखा।

- प्रकरणों का निराकरण.
- 4 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अभिलेख पर आए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- 5 जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं/दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करना। सामान्यतः संबंधित उप पंजीयक की।
- 6 जिला पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों, अभ्यावेदनों का निराकरण। अभिलेख पर आए तथ्यों के आधार पर जिला पंजीयक द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- 7 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन स्वयं उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण में आए तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
- 8 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन से इंकार स्वयं उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण में आए तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

#### 9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी

- 1 पंजीयन नियमों में संशोधन महानिरीक्षक पंजीयन
- 2 गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड
- 3 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण। महानिरीक्षक पंजीयन
- 4 कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण
- 5 जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं/दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करना। जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
- 6 जिला पंजीयक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों, अभ्यावेदनों का निराकरण। जिला पंजीयक
- 7 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन उप पंजीयक
- 8 उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन से इंकार उप पंजीयक

#### 9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण –

क्र.सं.- 1	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	पंजीयन नियमों में संशोधन
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 69
निर्णय लेने की प्रक्रिया	महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विभागीय अधिकारियों

	से चर्चा उपरांत प्रारूप तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, पंजीयन भवन, मालवीय नगर, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल, दूरभाष क्रं. 0755-2441953, 48
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	नियमों के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है

क्र.सं.-2	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	गाइड लाइन मूल्यों का निर्धारण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उप जिला मूल्यांकन समितियों तथा जिला मूल्यांकन समितियों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं, जिनका अनुमोदन राज्य मूल्यांकन बोर्ड से कराया जाता है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	राज्य स्तर पर – महानिरीक्षक पंजीयन जिला स्तर पर – संबंधित जिले का जिला पंजीयक उप जिला स्तर पर – संबंधित उप जिले का उप पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	मूल्यों में विसंगति के विरुद्ध संबंधित जिले की जिला मूल्यांकन समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था नियमों में की गई है.

क्र.सं.- 3	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 45 एवं 56(1)
निर्णय लेने की प्रक्रिया	पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर निर्णय लिया जाता है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की	महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, पंजीयन भवन,

संपर्क सूचना	मालवीय नगर, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल, दूरभाष क्रं. 0755-2441953, 48
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है.

क्र.सं.- 4	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा, 47 सहपठित मध्यप्रदेश लिखतों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975
निर्णय लेने की प्रक्रिया	संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर निर्णय लिया जाता है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	जिला पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	संभागायुक्त तथा प्रदेश का राजस्व मण्डल

क्र.सं.- 5	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	जिला पंजीयक द्वारा दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेण्डरों की अनुज्ञप्ति जारी करना.
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	दस्तावेज लेखक अनुज्ञा नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 का नियम 26
निर्णय लेने की प्रक्रिया	इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत अनुज्ञप्ति जारी की जाती है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	जिला पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	दस्तावेज लेखक की अनुज्ञप्ति के लिए महानिरीक्षक पंजीयन तथा स्टाम्प वेण्डर की अनुज्ञप्ति के लिए संभागायुक्त.

क्र.सं.- 6	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन अपीलों तथा अभ्यावेदनों का निराकरण.
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 72 एवं 73
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्णय पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर लिया जाता है.

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	जिला पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	सिविल न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह उप पंजीयक कार्यालय स्थित है, जहाँ दस्तावेज का पंजीयन किया जाना अपेक्षित है.

क्र.सं.- 7	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 34, 35, 52 तथा 58 से 65.
निर्णय लेने की प्रक्रिया	पंजीयन से पूर्व उप पंजीयक द्वारा स्टाम्पों की वैधता, दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले की वैधता, गाइड लाइन अनुसार मूल्य तथा दस्तावेज के समर्थन में आवश्यक - दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात निष्पादनकर्ताओं की स्वीकृति एवं षिनाख्त करवाकर दस्तावेज का पंजीयन किया जाता है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	संबंधित उप जिले का उप पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	जिला पंजीयक

क्र.सं.-8	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज के पंजीयन से इंकार
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 71
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्णय पक्षकारों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर

	लिया जाता है.
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	संबंधित उप जिले का उप पंजीयक
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	जिला पंजीयक

## अध्याय—10

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

जिला लोक सूचना अधिकारी

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	निवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस.एस. अपौरिया	जिला पंजीयक	0761	310302	—	—	—	500, मढ़ाताल, महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर
2	श्री एम.एल. श्रीवास्तव	मुख्या. उप पंजीयक						जिलाध्यक्ष परिसर जबलपुर
3	श्री एस.एस. पाल	उप पंजीयक						जिलाध्यक्ष परिसर जबलपुर
4	श्री ओम पांडे	उप पंजीयक						जिलाध्यक्ष परिसर जबलपुर
5	आर. एन. सोरते	उप पंजीयक						जिलाध्यक्ष परिसर जबलपुर
6	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	उप पंजीयक						तहसील परिसर, सिहोरा
7	श्री बी.एस. ठाकुर	उप पंजीयक						तहसील परिसर, पाटन

### अध्याय—11 (मैनुअल—10)

प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	श्री एस.एस. अपोरिया	जिला पंजीयक	17194	----"----	म.प्र. मूलभूत नियम 1922
2	श्री एम.एल. श्रीवास्तव	उप पंजीयक	9895	----"----	----"----
3	श्री एस.एस. पाल	उप पंजीयक	9426	----"----	----"----
4	श्री ओम पाण्डे	उप पंजीयक	9691	----"----	----"----
5	श्री आर.एन. सोरते	उप पंजीयक	6711	----"----	----"----
6	श्री अरविन्द्र वर्मा	उप पंजीयक	8975	----"----	----"----
7	श्री बी.एस. ठाकुर	उप पंजीयक	8820	----"----	----"----
8	श्री रुपकिषोर यादव	सहायक वर्ग-2	9456	----"----	----"----
9	श्रीमति सुनीता साहू	सहायक वर्ग-2	8072	----"----	----"----
10	श्री आतिफखान	सहायक वर्ग-3	6279	----"----	----"----
11	श्री अन्नुकुमार धुर्वे	स्टेनो टायपिस्ट	5057	----"----	----"----
12	श्री मेरसिंह चौधरी	रिकार्ड कीपर उ.श्रे.पं.लि.	7355	----"----	----"----
13	श्री आर.के. राय	पंजीयन लिपिक जबलपुर	6785	----"----	----"----
14	श्री एम.एल. नागले	पंजीयन लिपिक जबलपुर	7306	----"----	----"----
15	श्री एस.व्ही. पाठक	पंजीयन लिपिक जबलपुर	6833	----"----	----"----
16	अनिल द्विवेदी	पंजीयन लिपिक जबलपुर	6833	----"----	----"----
17	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह परमार	पंजीयन लिपिक जबलपुर	7176	----"----	----"----

क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
18	श्री सी.के. अम्बेरे	पंजीयन लिपिक सिहोरा	6519	----"----	----"----

19	श्री लक्ष्मण षाह उईके	पंजीयन लिपिक सिहोरा	4804	-----"	-----"
20	श्री आर.के. परिहार	पजीयन लिपिक पाटन	6519	-----"	-----"
21	श्री अर्जुन प्रसाद गोंड	दपतरी	5724	-----"	-----"
22	श्री मुन्नालाल प्रजापति	भृत्य जबलपुर	5779	-----"	-----"
23	श्री कमला बाई गोंड	भृत्य जबलपुर	5329	-----"	-----"
24	श्री सत्यनारायण मिश्रा	भृत्य जबलपुर	4973	-----"	-----"
25	श्री अभिलाष बेहरे	भृत्य जबलपुर	5038	-----"	-----"
26	श्री रामप्रसाद ढीमर	भृत्य सिहोरा	4973	-----"	-----"
27	श्री अवध बिहारी गोंड	भृत्य पाटन	5070	-----"	-----"

### अध्याय-12 (मैनुअल-11)

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावओं तथा धन वितरण की सूचना)

स. क्रं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त	कुल व्यय
8	2030—स्टाम्प एवं पंजीकरण				
	(1480)—जिला प्रभार				
	# 11—वेतन, भत्ते	36,00,000	26,55,000	26,55,000	16,19,397
	(3480)—माईक्रोफिसिंग द्वारा अभिलेखों की सुरक्षा	70,000	30,000	30,000	8,020
	# 22—कार्यालय व्यय				
	007—लेखन सामग्री एवं फार्म	70,000	70,000	70,000	28,378
	# 22—कार्यालय व्यय				
	003—फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	50,000	1,30,000	1,30,000	8,830

### अध्याय—13

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 पंजीयन विभाग में इस बिन्दु अंतर्गत कोई कार्यक्रम/योजना प्रचलित नहीं है।

#### अध्याय-14

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

- 14.1 स्टाम्प तथा पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में समय-समय पर दी गई रियायतें इन अधिनियमों के भाग के रूप में हैं। वित्त वर्ष 2004-05 एवं उसके उपरांत स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस में दी गई रियायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत दी गई रियायतें :-

स.क्रं.	अधिसूचना क्रमांक	दी गई रियायतों का विवरण
1	(18)-बी-4-16-04-वा.कर- -पांच, दिनांक 27/08/2004	श्री शिवराम शर्मा द्वारा श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया के पक्ष में निष्पादित दान-पत्र पर संपूर्ण छूट
2	(19)-बी-4-21-04-वा.कर- पांच, दिनांक 06/09/2004	मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय भवन आदि के किरायेनामों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर निम्नानुसार किया गया है -  (1) 1 वर्ष से कम अवधि के लिए - पट्टे के अधीन देय संपूर्ण रकम का 1%.  (2) 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि तक - आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम का दो प्रतिषत.
3	(23)-बी-4-17-04-वा.कर- पांच, दिनांक 27/09/2004	औद्योगिक विकास निगम द्वारा सरदार वल्लभ भाई पट्टेल स्मृति सेवा न्यास के पक्ष में निष्पादित पट्टे की लिखत पर.
4	(26)-बी-2-10-04-वा.कर- पांच, दिनांक 20/10/2004	म.प्र. उद्योग संवर्द्धन नीति, 2004 के अंतर्गत नए उद्योग स्थापित करने, उद्योगों के विस्तार, विवधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए सावधि ऋणों के बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से छूट
5	(27)-बी-2-10-04-वा.कर- पांच, दिनांक 20/10/2004	म.प्र. उद्योग संवर्द्धन नीति के अंतर्गत जड़ी बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों के पट्टों के संशोधन एवं ऋणों के प्रतिभूति के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से छूट
6	(1)-बी-2-10-04-2-वा.कर- - पांच, दिनांक 7/3/2005	गत 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों में 50.% से कम क्षमता वाली चालू समुत्थान के रूप में ईकाईयों के विक्रय या विलयन या समामेलन की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर कतिपय शर्तों के अधीन 10 लाख रुपये.

स.क्रं.	अधिसूचना क्रमांक	दी गई रियायतों का विवरण
7	(5)-बी-7बी-37-04-2-वा. कर-पांच दिनांक 7/3/2005	प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी पुर्नगठन कम्पनी या किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी के पक्ष में ऋण के समनुदेशन की लिखत

- पर शुल्क को घटाकर 0.1% किया गया है.
- 8 (33)–बी–2–10–04–2–वा.कर  
–पांच, दिनांक 22/6/2005 बीमार एवं बंद ईकाईयों के विक्रय की लिखतों पर कतिपय शर्तों के अधीन शुल्क से पूर्ण छूट.
- 9 (34)–बी–2–10–04–16–वा.  
कर–पांच,  
दिनांक 22/6/2005 प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विष्णुविद्यालय के पक्ष में निष्पादित पलासिया हाना इंदौर की भूमि के विक्रय पत्र पर 50% की छूट.
- 10 (37)–बी–4–48–05–2–वा.कर  
–पांच, दिनांक 05/09/2005 किसान क्रेडिट योजना अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट.
- 11 (38)–बी–4–48–05–2–वा.कर  
–पांच, दिनांक 5/9/2005 चल संपत्ति के आडमान से संबंधित लिखित, जो उसी स्वरूप की पूर्ववर्ती लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम से अधिकतर रकम के भुगतान को प्रतिभूत करती हो, पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क का प्रावधान उस स्थिति में किया गया है, जब पूर्ववर्ती रकम पर शुल्क चुका दिया गया हो।

(2) पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत दी गई रियायतें :-

स.क्रं.	अधिसूचना क्रमांक	दी गई रियायतों का विवरण
1	(36)–बी–4–48–05–2–पांच, दिनांक 05/09/2005	हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करारों पर पंजीयन फीस 1000 रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का 0.5% की गई है.

## कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियम—

1. उप पंजीयकों के लिए —

विषय	निर्धारित समयावधि
पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की वापसी	
(क) जब सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण न किया जाय तो अधिकतम प्रस्तुतिकरण दिनांक से अगले दिन जाना हो,	
(ख) जब सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाय तो प्रस्तुतिकरण दिनांक से 7 दिवस में जाना हो	
दस्तावेजों की नकल प्रदान करना	अधिकतम आवेदन प्रस्तुतिकरण दिनांक से अगले दिन
भार प्रमाण-पत्र	एक माह

2. जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस के लिए—

विषय	निर्धारित समयावधि
धारा 47-क के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा	9 माह
स्टाम्प रिफंड के प्रकरणों का निराकरण	1 सप्ताह

3. अचल संपत्ति के गाइड लाइन मूल्य निर्धारित करने के लिए — 31 मार्च (प्रतिवर्ष)

## इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

15.1 विभाग से संबंधित निम्नलिखित जानकारी इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में विभाग की वेबसाइट [www.mp.nic.in/igrs](http://www.mp.nic.in/igrs) पर

- (i) विभाग की संरचना
- (ii) विभाग के उत्तरदायित्व
- (iii) सिटीजन चार्टर
- (vi) राजस्व आय के विवरण
- (vii) सम्पत्ति अंतरण दस्तावेज का आदर्ष प्रारूप
- (viii) प्रदेश के समस्त जिलों के अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गाइड लाइन; तथा
- (ix) सूचना के अधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी।

## अध्याय-17

### सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1.1 अचल सम्पत्ति के पंजीकृत दस्तावेजों के निरीक्षण (सर्च) की व्यवस्था प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में पूर्व से ही विद्यमान है। जन-साधारण द्वारा प्रदेश के किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों के सर्च हेतु नियत शुल्क का भुगतान कर सर्च की जा सकती है। अचल सम्पत्ति पर भार के संबंध में उप पंजीयक कार्यालय में नियत शुल्क जमा करने पर भार मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- 17.1.2 अचल सम्पत्ति के अंतरण के दस्तावेजों की प्रति नियत शुल्क का भुगतान कर पक्षकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
- 17.1.3 दस्तावेज के पंजीयन से संबंधित जानकारी से जन-साधारण को अवगत कराने के लिए निम्नलिखित सूचना पटल प्रदेश के उप पंजीयक कार्यालयों में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं :-
- (अ) अचल सम्पत्ति के विक्रय/दान विलेखों में देय मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी से संबंधित सूचना पटल -

स. क्रं.	सम्पत्ति जहां पर स्थित है	देय मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	दस्तावेज की लिखाई दर	
				दस्तावेज का मूल्य	दर
1	नगरपालिका/नगर निगम सीमा में स्थित 1. भवन 2. कृषि भूमि/भूखण्ड	बाजार मूल्य का 10 प्रतिषत 10.4 प्रतिषत	बाजार मूल्य रु.50,000तक 1.1 प्रतिषत उससे अधिक पर 0.8 प्रतिषत	रु.10,000तक	रु.10/-
				10001 से रु. 50,000 तक	रु.25/-
2	पंचायत क्षेत्र में स्थित 1. भवन 2. कृषि भूमि/भूखण्ड	बाजार मूल्य का 9 प्रतिषत 9.4 प्रतिषत		रु. 50001 से रु.5,00,000 तक	रु.40/-
				रु.5,00,000 से अधिक	रु.75/-

नोट :-

1. स्थल निरीक्षण होने पर 7 दिन में अन्यथा उसी दिन दस्तावेज पंजीकृत कर लौटाना अनिवार्य है।
2. उपरोक्तानुसार से अधिक राशि की मांग करने, दस्तावेज लौटाने में देरी करने आदि के संबंध में प्रदेश स्तर पर शिकायत दूरभाष क्रमांक 0755-2441953, 2441980 पर दर्ज कराये अथवा 0755-2441941 पर फ़ैक्स भेजे।
3. जिला स्तर पर जिला पंजीयक कार्यालय में दूरभाष क्रमांक 0761-2310302 पर।

(ब) तत्काल रजिस्ट्री से संबंधित सूचना पटल –

तत्काल रजिस्ट्री

दस्तावेज को, पूरे स्टाम्प लगाकर

1. सम्पत्ति के 3 विभिन्न कोण से फोटो तथा

(5"X3" इंच आकार के 2 सेट)

2. विक्रेतागण के नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र

(उप पंजीयक के पास उपलब्ध निर्धारित प्रारूप अनुसार)

के साथ प्रस्तुत करें एवं अपनी रजिस्ट्री एक घंटे में प्राप्त करें।

17.1.4 पंजीयन मैनुअल भाग-2 रुपये 190.00 के भुगतान पर विक्रय हेतु उपलब्ध है।

17.1.5 महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.mp.nic.in/igrs](http://www.mp.nic.in/igrs) पर विभाग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

## अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर।

प्रश्न – कौन-कौन से दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है ?

उत्तर – 1. स्थावर सम्पत्ति के दान की लिखत,

2. अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में, सृष्ट, घोषित, समनुदेषित, परिसीमित या निर्वापित करती हो,
3. ऐसी निर्वसीयती लिखत, जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के सृजन घोषणा, समनुदेषन, परिसीमन या निर्वापन के लेखे किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अभिस्वीकार करती हो,
4. वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर सम्पत्ति के पट्टे,
5. न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का या किसी पंचाट का अन्तरण या समनुदेषन करने वाली निर्वसीयती लिखत जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचाट से यह तात्पर्यित हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थावर सम्पत्ति पर या स्थावर सम्पत्ति में एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, सृष्टि, घोषित, समनुदेषित, परिसीमित या निर्वापित करता हो,
6. उन दस्तावेजों की, जिनमें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53क के प्रयोजन के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्रतिफल के लिए अन्तरित करने की संविदा अंतर्विष्ट है।

प्रश्न – क्या उत्तराधिकार में प्राप्त खाते का पंजीयन अनिवार्य है ?

उत्तर – जी नहीं ! सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों के नाम, मालिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र कृषि भूमि के मामले में राजस्व अधिकारियों को तथा अन्य सम्पत्ति के मामले में संबंधित स्थानीय संस्था को प्रस्तुत कर खाते का अन्तरण करा सकते हैं।

प्रश्न – जहां दो या दो से अधिक वारिस हों, उनमें से यदि कोई वारिस शेष सभी वारिसों के पक्ष में हक छोड़ना चाहे तो क्या ऐसे हक छोड़ने वाले दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य है ?

उत्तर – जी हां ।

प्रश्न – वसीयत का पंजीयन कहां कराया जा सकता है ?

उत्तर – इसका पंजीयन भारत के किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में कराया जा सकता है।

प्रश्न – क्या वसीयत के पंजीयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर – जी नहीं।

प्रश्न – क्या वसीयत के दस्तावेज पर किस दर से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क देय है ?

उत्तर – कोई मुद्रांक शुल्क देय नहीं होता। वसीयत पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर मात्र 200 रुपये पंजीयन फीस देय है।

प्रश्न – अचल सम्पत्ति के अवसीयती दस्तावेजों के पंजीयन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर – दस्तावेज के निष्पादन दिनांक से 4 माह की समय-सीमा निर्धारित है। जिला पंजीयक द्वारा शास्ति लेकर उक्त सीमा की अवधि का और 4 माह बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न – अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कहां-कहां कराया जा सकता है ?

उत्तर – उस उप जिले के उप पंजीयक कार्यालय में जहां कि सम्पत्ति स्थित हो अथवा उस जिले के मुख्यालय पर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में जिसके अन्तर्गत कि वह उप जिला आता है।

प्रश्न – अचल सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाली न्यायालय की डिक्री या आदेश की प्रति का पंजीयन कहां-कहां कराया जा सकता है ?

उत्तर – न्यायालय की डिक्री या आदेश का पंजीयन उस उप पंजीयक कार्यालय में, जिस उप जिले में वह मूल डिक्री या आदेश किया गया था या उस उप जिले में जहां कि डिक्री या आदेश से संबंधित सम्पत्ति स्थित हो, कराया जा सकता है।

प्रश्न – अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजों का पंजीयन न कराने का क्या प्रभाव होता है?

उत्तर –

1. यह उस समाविष्ट किसी अचल सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं डालता,
2. दत्तक ग्रहण की कोई शक्ति प्रदत्त नहीं करता,
3. ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होता।

प्रश्न – पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का प्रारूपण किसके द्वारा किया जा सकता है ?

उत्तर – दस्तावेज का प्रारूपण स्वयं पक्षकार के अलावा निम्न व्यक्ति कर सकते हैं –

1. पक्षकार का अधिकृत मुख्तार,
2. अधिवक्ता जो दस्तावेज लिखने के लिए नियुक्त किया गया हो,
3. नियुक्त अधिवक्ता के पंजीबद्ध क्लर्क,
4. अनुज्ञप्तिधारी दस्तावेज लेखक।

प्रश्न – प्रकोष्ठ अधिनियम कब लागू होता है ?

उत्तर – प्रकोष्ठ अधिनियम उन मामलों में लागू होता है, जहां मालिक या सभी मालिक अधिनियम में यथा अपेक्षित घोषणा-पत्र को निष्पादित करें तथा इसका पंजीयन कराएं।

प्रश्न – प्रकोष्ठ अधिनियम के अन्तर्गत भवन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर – भवन से अभिप्रेत है किसी भूमि पर सन्निर्मित ऐसा भवन जिसमें चार या अधिक प्रकोष्ठ हैं या दो या अधिक भवन, जिनमें कुल मिलाकर चार या अधिक प्रकोष्ठ हैं या कोई ऐसा विद्यमान भवन जिसे प्रकोष्ठों में संपरिवर्तित किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा भवन आता है, जिसमें दो प्रकोष्ठ हैं, जिसके संबंध में धारा 2 के परन्तुक के अधीन घोषणा की गई है।

प्रश्न – क्या प्रकोष्ठ अन्तरण के दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य है ?

उत्तर – जी हां ।

प्रश्न – क्या किसी एक प्रयोजन के लिए क्रय किए गये स्टाम्प पेपर का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकता है ?

उत्तर – जी नहीं ।

प्रश्न – भारत से बाहर निष्पादित ऐसे दस्तावेजों, जिनका उपयोग मध्यप्रदेश में होना है, पर स्टाम्प शुल्क कैसे चुकाया जाता है ?

उत्तर – स्टाम्प शुल्क दस्तावेज के भारत में प्राप्त होने के 3 माह की अवधि चुकाया जा सकता है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज जिला पंजीयक को प्रस्तुत किए जाने पर वह इसे अपेक्षित स्टाम्प शुल्क चुकवा कर प्रमाणीकृत कर सकता है।

प्रश्न – क्या मध्यप्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य में निष्पादित ऐसे दस्तावेज पर जो मध्यप्रदेश स्थित सम्पत्ति से संबंधित हो, पर क्या मध्यप्रदेश का शुल्क चुकाया जाना अनिवार्य है ?

उत्तर – यदि उस राज्य, जहां कि दस्तावेज का निष्पादन हुआ है, में स्टाम्प शुल्क की दर मध्यप्रदेश की तुलना में कम हो, तो अन्तर की राशि मध्यप्रदेश में वसूल की जायेगी।

प्रश्न – किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि विधिक रूप से जानने का क्या प्रावधान है ?

उत्तर – कोई भी व्यक्ति स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न – किसी दस्तावेज पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाने की क्या परिणाम होते हैं ?

उत्तर – जब किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया जाता है, इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न – क्या म.प्र. में क्रय किए स्टाम्पों के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर – जी नहीं ।

प्रश्न – अचल संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर – विभाग द्वारा नियमों के अंतर्गत बाजार मूल्य निर्धारण करने हेतु गाइड लाइन के अनुसार किया जाता है ।

प्रश्न – क्या गाइड लाइन प्रति उप पंजीयक कार्यालय में नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है ?

उत्तर – जी हाँ ।